भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2107

जिसका उत्तर 04 मार्च, 2020 को दिया जाना है

रैट होल खनन

2107. श्री परबतभाई सवाभाई पटेलः
श्री नारणभाई काछड़ियाः
श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोरः

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रैट होल खनन की घटनाओं की संख्या को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में वित्तीय सहायता हेतु कोई प्रावधान किया है; और

(ग) क्या सरकार ऐसे खनन के कारण होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या में कमी करने में सफल रही है?

उत्तर

संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क से ग): रैट होल खनन अवैध है तथा अवैध खनन कानून और व्यवस्था का मुद्दा है जोकि राज्य का विषय है, इस प्रकार आवश्यक निवारक कार्रवाई करना मुख्य रूप से राज्य/जिला प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में आता है। कोल इंडिया लिमिटेड तथा इसकी सहायक कंपनियों की किसी भी कोयला खान में रैट होल खनन नहीं की जा रही है। कोल इंडिया लिमिटेड तथा इसकी सहायक कंपनियों के सभी प्रकार के कोयला खनन संबंधी प्रचालन खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) से अनिवार्य कार्य अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् उपयुक्त प्रौद्योगिकी एवं खनन पद्धति अपनाते हुए वैज्ञानिक तरीके से एवं उपयुक्त पद्धति से किए जा रहे हैं।

*****